पत्र संख्या बी–सामान्य/2025–2026/ 279 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: 14 अगस्त, 2025

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 13.08.2025 में दिये गये निर्देशों के कम में निर्देशित किया गया है कि मानक मद संख्या–51–वर्दी पर व्यय की मद/ग्रुपिंग के अन्तर्गत उपलब्ध बजट से आपके कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्हें शासनादेशानुसार वर्दी दी जानी है उन्हें दी जाने वाली वर्दी की धनराशि सम्बन्धित के खाते में यथाशीघ्र भुगतान कर/जमा करा कर वर्दी के खरीद की रसीद कार्मिक से प्राप्त कर मुख्यालय, राज्य कर, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

(अशोक कुमार सिंह)
प्र0 अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पृ0प0सं0 एवं दिनाँक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1:–आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदय को अवलोकनार्थ प्रषित ।

2:–अपर आयुक्त(प्रशासन), राज्य कर, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर पर कार्यवाही हेतु निर्देश जारी करने के अनुरोध के कम में प्रेषित ।

3:–समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से निर्देशित किये जाने हेतु ।

4:–संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) को विभागीय साइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेजित ।

5:–समस्त डी0डी0ओ0 को निर्देशित किया जाता है कि उक्त का प्रमाण पत्र **दिनांक 18.08.2025 (अपराह्न 12:00 बजे तक)** को जारी करे कि उनके स्तर पर कोई भी **वर्दी व्यय** आहरण से सम्बन्धित बिल पेंडिग नहीं है।

(अशोक कुमार सिंह)
प्र0 अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ

C:\Users\HP\Desktop\All DDO Letter.docx